तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18/10/21	उभयपक्ष/उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण को लोक अदालत में रेफर [illegible] अतः प्रकरण लोक अदालत में रेफर किया जाता [illegible] 18/12/21 को पेश हो।
13/12/21	पत्रावली राजस्व लोक अदालत में [illegible] प्रशासन उप/[illegible] 22/2/22
22/2/22	पत्रावली पेश हुई। [illegible] करीकने उप[illegible] वास्ते...तलबी...[illegible] दि. 12/4/22 को पेश हो। SDO
12/04/22	पत्रावली पेश हुई। अवलोकन किया गया, पत्रावली वास्ते तलबी आमन्त्रण दिनांक 12/05/2022 को पेश हो।
12/05/22	पत्रावली पेश हुई। आवाजें लगवाई गयी, बार-बार आवाजें लगवाने पाने के बावजूद पक्षकार उपस्थित नहीं; जिससे प्रतीत होता है की पक्षकार की रुचि याचना पत्र में नहीं है अतः याचना पत्र प्रार्थी [illegible] पर अग्रिम हमारी एवं अग्रिम पैरवी [illegible] किया जाता है। पत्रावली निर्णय में [illegible] हकबाजान दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

Signature Not V
Digitally signed by
Date: 2022.06.20 1
Reason: SelfAttest